

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-120/2020

1. सुनील } पि० हरदत्त जाति जाट निवासीयान 16-17 केएनएन पिचकराई
2. अंकित कुमार } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. धर्मपाल पुत्र देवीराम आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुडडी देवी पत्नी देवीराम जाति निवासी 16-17 केएनएन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम्


1. हनुमान पुत्र नन्दराम } जाति जाट निवासीयान 16-17 केएनएन तहसील नोहर
2. देवीराम } पि० हनुमान } जिला हनुमानगढ।
3. हरदत्त }
4. सुखीदेवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. गोमती पत्नी जगदीप पुत्री हनुमान जाति जाट निवासीयान खाबड़ाकलां तहसील भट्टू जिला हिसार।
6. मीरां पत्नी राजेन्द्र पुत्री हनुमान } जाति जाट निवासीयान चैनपुरा तहसील नोहर
7. सन्तरो पत्नी कृष्ण पुत्री हनुमान } जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी संख्या 1 सुनील कुमार व वादी संख्या 2 अंकित कुमार को ब०हि०ब० चक नं० 2 ए बारानी के खाता संख्या 169/157 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 14.927 है० आराजी मे से 2.530 है० आराजी ख.वादी संख्या 3 धर्मपाल को चक नं० 2 ए बारानी के खाता संख्या 169/157 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 14.927 है० आराजी मे से 2.530 है० आराजी ग.प्रतिवादी संख्या 2 देवीराम को चक नं० 2 ए बारानी के खाता संख्या 169/157 जमाबन्दी संख्या 2075 ता 78 में कुल 14.927 है० आराजी मे से 2.530 है० आराजी घ.प्रतिवादी संख्या 3 हरदत्त को चक नं० 2 ए बारानी के खाता संख्या 169/157 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 14.927 है० आराजी मे से 2.530 है० आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है व चक नं० 2 ए बारानी के खाता संख्या 169/157 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...x...निल...x...मुब्लिक...x...निल...x...बाबत्...x...निल...x...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.09.2020 को जारी किया गया।


(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,